न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– रवि जैन
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 146/2019
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा गुधागौरजी, जिला झुंझुनू (राज0)

—– प्रार्थी (सिक्योर क्रेडिटर)

बनाम

मैसर्स फैशन साडी सेन्टर, प्रोपराइटर श्रीमती बिदामी देवी पत्नि श्री पेपाराम सैनी, निवासी शाप संख्या 118, तिरूपति कम्प्लेक्स, गुढागौडजी, जिला झुंझुनूं (श्रीमती बिदामी देवी पत्नि श्री पेपाराम सैनी प्रोपराइटर मैसर्स फैशन साडी सेन्टर, निवासी वार्ड संख्या 9, बस्ती बालाजी का नाडा, गांव बेरी , तहसील व जिला सीकर (राज0)

—– ऋणी

प्रार्थना पत्र सिक्योरटाईजेशन एण्ड रिक्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल असेट्स एण्ड एनर्फोसमेंट इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 (अब आगे से एक्ट से सम्बोधित किया गया है) की धारा 14 के अन्तर्गत ऋणी/जमानती से बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डॉक्यूमेन्ट्स का कब्जा लेकर बैंक को सुपुर्द कराने के संबंध मे प्रस्तुत

—

उपस्थितः–
1 एडवोकट श्री मनोज कुमार वर्मा (बैंक ऑफ बडौदा) –............ प्रार्थी बैंक की ओर से

आदेश

दिनांक 23.0392019

प्रार्थी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि बैंक ने ऋणी मैसर्स फैशन साडी सेन्टर को दिनांक 29.01.2015 को रूपये 12,00,000.00 अक्षरे बारह लाख रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया था इस हेतु ऋणी ने बंधक विलेख व आवश्यक दस्तावेज दिनांक 29.01.2015 निष्पादित किये थे। उक्त ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभति आस्ति (जो आपके क्षेत्राधिकार मे स्थित है) से रक्षित है– मैसर्स फैशन साडी सेन्टर के नाम कामर्शियल सम्पत्ति शाप संख्या 118, प्रथम तल, तिरूपति कामर्शियल कम्प्लेक्स, बस स्टेण्ड के पास, गुधागोरजी, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं है जिसका कुल क्षेत्रफल 283.50 वर्ग फीट है। ऋण की अदायगी हेतु गारन्टी के रूप मे ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके परिसम्पत्ति पर प्रतिभूमि हित से सम्यबंधक किया है। प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान मे चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तो के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने मे असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 27.12.2018 नियमानुसार अनर्जक परिसम्पत्ति (एन0पी0ए0) के रूप मे वर्गीकृत कर दिया गया था। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 17.01.2019 को मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजि0 ए0डी0/कोरियर/यू0पी0सी0 से मांग नोटिस भेज करके 60 दिन मे ऋण राशि रूपये 13,29,105.00 अक्षरे तेरह लाख उन्नतीस हजार एक सौ पांच रूपये मात्र + ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने के लिए मांग की। बैंक को दिनांक 17.01.2019 को रूपये 13,29,105.00 अक्षरे तेरह लाख उन्नतीस हजार एक सौ पांच मात्र ब्याज व खर्चे अतिरिक्त ऋणी/जमानती से लेना है। बकाया राशि को वसूल करने के लिए बैंक को गिरवीकृत मैसर्स फैशन साडी सेन्टर, शाप

जिला कलेक्टर झुन्झुनू
(जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट)
झुंझुनू

संख्या 118, प्रथम तल, तिरूपति कामर्शियल कम्प्लेक्स, बस स्टेण्ड के पास, गुधागोरजी, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं है जिसका कुल क्षेत्रफल 283.50 वर्ग फीट है का कब्जा लेकर बिकी करनी है। श्रीमान् को उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति को अपने नियन्त्रण मे लेकर प्रतिभूति लेनदार (बैंक) को सुपुर्द करने का अधिकार प्राप्त है। बंधक/दृष्टिबंधक सम्पत्ति जो कि आपके क्षेत्राधिकार मे है जिसका विवरण निम्न हैः– मैसर्स फैशन साडी सेन्टर, शाप संख्या 118, प्रथम तल, तिरूपति कामर्शियल कम्प्लेक्स, बस स्टेण्ड के पास, गुधागोरजी, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं है जिसका कुल क्षेत्रफल 283.50 वर्ग फीट है। इस सम्पत्ति पर उक्त कार्यवाही करने के लिए किसी न्यायालय/अधिकरण के द्वारा कोई रोक नही है। सविनय निवेदन है कि उपरोक्त गिरवीकृत सम्पत्ति को रखने वालों से खाली करवा कर भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जाये जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जानें का निवेदन किया।

हमने प्रार्थी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है।

पत्रावली में शमिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्न्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस एण्ड एनर्फोसमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रद्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पति मैसर्स फैशन साडी सेन्टर, शाप संख्या 118, प्रथम तल, तिरूपति कामर्शियल कम्प्लेक्स, बस स्टेण्ड के पास, गुधागोरजी, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं है जिसका कुल क्षेत्रफल 283.50 वर्ग फीट है का पजेशन प्रार्थी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 23.09.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

जिला मजिस्ट्रेट झुन्झुनू